न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारेठ आर.ए.एस.

मि0न0 –05/2020

अनवान : –

1. महेन्द्र पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा ।
2. कृष्ण कुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।

वादीगण

बनाम

1. प्रतापसिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा।
2. सीता पुत्री इन्द्राज जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा, पत्नी रणसिंह जाति जाट हाल निवासी नाथूसरीकलां तहसील व जिला सिरसा।
3. ममता देवी पुत्री प्रतापसिंह पत्नी ठाकर जाति जाट निवासी जनाणा हाल निवासी नाथूसरीकलां तहसील व जिला सिरसा।
4. सुमन पुत्री प्रतापसिंह पत्नी कुलदीपसिंह जाति जाट निवासी जनाणा हाल निवासी चक 16 डीपीएन रामगढ़ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपरिथति :-- श्री पवन सिहाग वादीगण
श्री रोहीताश शर्मा प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांकः 19/03/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एमआरएन के खाता सं 29/26 के मु0 न0 4 के किला न0 18, 23 मु0 न0 15 के किला न0 3, 8 9 मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 25 कुल 6.3250 है0 जिसमें नहरी 6.247है0 गै0 मु0 रास्ता 0.078 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण हिन्दू है। उपर वर्णित कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। वाद भूमि पहले वादीगण के दादा इन्द्राज के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। इन्द्राज के देहान्त के बाद वाद भूमि विरासतन प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम दर्ज हो गई। वाद भूमि पैत्रक एवं दादालाई सम्पति है अतः वाद भूमि के वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के काश्तकार है। वाद भूमि महज [illegible] खानदान होने के कारण प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम विरासतन दर्ज हो गई। वाद भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः वादीगण के

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हकों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। वादीगण को अपने हकों की घोषणा कराने का कानूनी अधिकार है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं 5 ने अपना जबाब दावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया।

साक्ष्य वादी में वादी महेन्द्र सिंह पुत्र प्रतापसिंह जाति जाट निवासी जनाणा के साक्ष्य करवाये गये । साक्ष्यवादी में प्रस्तुत जमाबंदी चक 2 एमआरएन खाता सं 29/28 प्रदर्श 1 जमाबंदी चक 2 एमआरएन खाता सं 4 प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत जनाणा प्रदर्श 3 जमाबंदी चक 1 एमआरएन खाता सं 36/37 प्रदर्श 4 व जमाबंदी चक 1एमआरएन खाता सं 37/38 प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवायें। चुकि राजीनामा पेश होने पर तनकीयात की आवश्यकता नही पायी गयी अतः पत्रावली को सीधे बहस पर लिया गया।

बहस वकील वादीगण सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने रोही मौजा चक 2 एमआरएन के खाता सं 29/26 के मु0 न0 4 के किला न0 18, 23 मु0 न0 15 के किला न0 3, 8, 9 मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 25 कुल 6.3250 है0 जिसमें नहरी 6.247है0 गै0 मु0 रास्ता 0.078 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है जिसमें वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। परन्तु प्रतिवादी सं 2 ता 4 ने वाद भूमि में से अपना हक हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 के पक्ष में तर्क कर दिया है। जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है रोही मौजा चक 2 एमआरएन के खाता सं 29/26 के मु0 न0 4 के किला न0 18, 23 मु0 न0 15 के किला न0 3, 8, 9 मु0 न0 46 के किला न0 6 ता 25 कुल 6.3250 है0 जिसमें नहरी 6.247है0 गै0 मु0 रास्ता 0.078 है0 खातेदारी कृषी भूमि प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। **उसमें प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के साथ – साथ वादी सं 1 महेन्द्र व वादी सं 2 कृष्ण कुमार को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** चूंकि प्रतिवादी सं0 2 ता 4 ने अपना हक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हिस्सा वादीगण व प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह के पक्ष में तर्क कर दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा के अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं 1 प्रतापसिंह को 1/3–1/3 हिस्सा बहिस्सा बराबर के खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)